सैयद शाहनवाज़ हुसैन
माननीय मंत्री
उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21

वार्षिक कार्यक्रम 2021–22

श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा
नव–प्रवर्त्तन जोन चनपटिया पं.चम्पारण (बेतिया) का निरीक्षण

माननीय उद्योग मंत्री, सैयद शाहनवाज़ हुसैन, वरीय पदाधिकारियों के साथ
भागलपुर के सिल्क उद्योग की समीक्षा करते हुए

सैयद शाहनवाज़ हुसैन
मंत्री, उद्योग विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

दूरभाषः 0612–2215431 (का.)

संदेश

निरन्तर प्रगति पथ पर गतिमान बिहार सरकार के उद्योग विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है। राज्य उद्योग एवं उद्यमिता के विकास की ओर अग्रसर है।

सरकार द्वारा किये गये नीतिमूलक निर्णय के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हुई है। औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी प्रकार के क्लियरेन्स, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिये ऑन लाईन क्लियरेन्स पोर्टल की व्यवस्था की गयी है। उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं परामर्श विभाग के अधीन कार्यरत उद्योग मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए 01 सितम्बर, 2016 से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है। वाणिज्य एवं उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों एवं कोविड–19 महामारी के दौरान बिहार लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा विशेष प्रोत्साहन पैकेज हेतु वर्त्तमान औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 (संशोधन) में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाई को शामिल किया गया है। साथ ही इसको अधिक प्रोत्साहित/बढ़ावा देने के लिए अलग से भी नीति तैयार की जा रही है, ताकि राज्य में इथेनॉल के प्रक्षेत्र में अधिकाधिक इकाई की स्थापना संभव हो सकें।

राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवा/युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना विभाग द्वारा पूर्व से लागू है। आत्मनिर्भर बिहार, सात निश्चय पार्ट–2 के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया जा रहा है।

हस्तकरघा एवं रेशम बुनकरों के समग्र विकास के लिये कई परियोजनाएँ प्रारंभ की गयी है, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन, प्रशिक्षण एवं विपणन को बढ़ावा देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन की व्यवस्था की गयी है।

खादी के समग्र विकास हेतु बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कतिन, बुनकर के रोजगार सृजन हेतु संस्था/समिति को करघा, चरखा एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु खादी मॉल का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये उद्योग विभाग के अंतर्गत वृहत, मध्यम प्रक्षेत्र तथा लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए ₹810.00 करोड़ उदव्यय योजना मद में निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना मद में ₹1,190.00 करोड़ एवं स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मद में ₹95.17 करोड़ अर्थात कुल ₹1,285.17 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग अपनी नीतियों में सफल होकर नये औद्योगिक बिहार का सपना साकार कर सके, इसके लिये हमें निरन्तर आपके द्वारा मूल्यांकन आधारित सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थित है।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

(**सैयद शाहनवाज़ हुसैन**)
उद्योग मंत्री, बिहार

वित्तीय वर्ष 2020–21 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

❖ राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए 01 सितम्बर, 2016 से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत 18 फरवरी, 2021 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में कुल 1678 प्राप्त आवेदनों में से 1,369 इकाइयों को स्टेज–I क्लियरेंस तथा 364 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से अबतक 278 इकाइयाँ कार्यरत है।

➢ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 18.02.2021 तक कुल ₹72.39 करोड़ तथा 01 सितम्बर, 2016 से अबतक कुल ₹187.25 करोड़ का भुगतान किया गया है।

➢ वित्तीय वर्ष 2020–2021 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 8,625.76 लाख़ (छियासी करोड़ पचीस लाख छिहत्तर हजार रूपए मात्र) की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

❖ राज्य सरकार द्वारा ने राज्य में युवाओं के उद्यमिता को बढ़ाने हेतु स्टार्ट–अप नीति, 2017 लागू किया गया है, जो अपने प्रारंभ से अगले 05 (पाँच) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं।

➢ इस योजनान्तर्गत दिनांक 11.02.2021 तक कुल 1673 स्टार्ट–अप आवेदन को चयनित कर इन्क्यूबेशन संस्थानों से संबद्ध किया गया है।

➢ बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 140 स्टार्ट–अप में से 101 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त के रूप में ₹3.73 करोड़, 48 स्टार्ट–अप को द्वितीय किस्त के रूप में ₹2.82 करोड़ अर्थात कुल ₹6.55 करोड़ का भुगतान किया गया है।

❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने एवं सुक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्व–रोजगार हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु संचालित किया गया है।

➢ इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में अबतक 53,570 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4,005 आवेदनों को चयनित किया गया है। चयनित आवेदकों में से प्रशिक्षणोपरांत 3723 लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹279.33 करोड़ वितरित किया जा चुका है एवं अति पिछड़ा वर्ग में अबतक 14,711 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,594 आवेदनों को चयनित किया गया है। चयनित आवेदकों में से प्रशिक्षणोपरांत 773 लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹24.11 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

❖ **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना**

➢ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

➢ इसके अन्तर्गत अबतक 07 कलस्टरों यथा– राईस मिल कलस्टर–लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा

कलस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल कलस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल कलस्टर– पश्चिम चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹2,125.28 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है।

- कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई. रेडिएशन–सह–पैक हाउस की समेकित ईकाई की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा– कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई. रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु ₹5,083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण कर निर्यात किया जाना है।

❖ कौशल विकास मिशन कार्यक्रम

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 युवक/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित कराया जाता है। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (बी.एस.डी.एम.) के गाईडलाईन के अनुसार उनके अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होता है।

- अबतक लगभग 2,600 युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जबकि कोविड–19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 का सभी बैच स्थगित था जो अब पुनः जनवरी, 2021 से प्रारंभ हुआ है जिसमें 1,068 युवक/युवतियों का प्रशिक्षण चल रहा है।

❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 2,822 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹8,466.00 लाख के विरूद्ध बैंकों के माध्यम से अबतक 18,098 आवेदन–पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं को भेजा गया है। बैंक द्वारा अबतक 1,063 आवेदकों के बीच ₹3,599.39 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में वितरित की गयी है।

❖ हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाएँ

- हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजनाः हस्तकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा बाजार माँग के अनुरूप उनके द्वारा सूत क्रय कर वस्त्र का निर्माण करने हेतु उन्हें दिया जाता है। अब तक योजनान्तर्गत 5,610 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹71.20 लाख (एकहत्तर लाख बीस हजार) मात्र की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

❖ विद्युतकरघा प्रक्षेत्र

- विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदानः विद्युतकरघा द्वारा वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर दि. 01.02.2014 से ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक इस योजनान्तर्गत 11,318 विद्युतकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

❖ मलवरी विकास परियोजना

- राज्य में मलवरी विकास की संभावनाओं को देखते हुए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया,

किशनगंज एवं कटिहार जिलों में जीविका के सहयोग से मलवरी विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

- वर्तमान में 6,360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4,667 किसानों द्वारा अबतक 2,335.5 एकड़ में शहतूत की खेती की गई है। 1,875 लाभुकों को सिंचाई सुविधा, 2,669 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 925 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गई है। वर्ष 2019–20 में 1.24 लाख रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 24.69 मि.टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है। 15 नोडल सेंटर की स्थापना कर 1,180 किसानों को संबद्ध कर दिया गया है।

❖ तसर विकास परियोजना

- बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5,434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2019–20 में राज्य में 45.51 मी.टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।

❖ अण्डी

- बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान में 1,373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2020–21 में 8.15 मी.टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में 105 व्यक्तियों को अण्डी की खेती एवं कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए दो किस्तों में ₹70,000/– की सहायता प्रत्येक लाभुकों को दी गई है। सभी लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में 200 लाभुकों को 15 दिन का अण्डी रेशम कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

❖ हस्तकरघा एवं रेशम भवन

- रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1,364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है जो कि अंतिम चरण में है।
- इस भवन में भागलपुर स्थित सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के हस्तकरघा एवं रेशम से जुड़े कार्यालय आवासित होगें। उक्त भवन में रेशम उत्पादों की बिक्री हेतु इम्पोरियम की व्यवस्था के साथ–साथ सिल्क उत्पादों के प्रदर्शन की व्यवस्था होगी।

❖ खादी एवं ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र

- कटिया चरखा एवं कार्यशील पूंजी का वितरणः खादी की 15 संस्था/समितियों को 270 नग कटिया चरखा इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 04 संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 29 संस्था को कार्यशील पूँजी देने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि खादी वस्त्रों के उत्पादन के गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।
- आधुनिक डिजाइनः खादी संस्था/समितियों को डिजाइन का सैंपल तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। विभाग द्वारा नियुक्त परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी के डिजाइनर द्वारा बाजार में प्रचलित 17 आधुनिक डिजाइन को विकसित किया गया है, जिसे खादी संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया गया है तथा जिस पर खादी संस्थाओं द्वारा कार्य भी किया जा रहा है।
- खादी के योजना के कार्यान्वयन तथा खादी के विकास के लिए विभाग द्वारा परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी नियुक्त है, जिनके द्वारा खादी के उत्पादन कार्यों में गुणवत्ता वृद्धि के लिए कार्य किये जा

रहे हैं। बिहार में स्थित खादी संस्थाओं का Baseline Survey परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा किया गया है। इन खादी संस्थाओं का Baseline Survey& Diagnostic Study Report बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्त्तमान में खादी संस्थाओं की जो स्थिति है उसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण, बुनाई की नई तकनीक, नए डिजाइन आदि के लिए हस्तक्षेप (Intervention) की आवश्यकता है। वर्त्तमान में खादी संस्थाओं द्वारा जो डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं, वो डिजाइन बाजार के अनुरूप नहीं है जिसके कारण उनकी बाजार में माँग कम है। जिसके तहत् आवश्यक Intervention कर इन खादी संस्था को इस रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि वे कताई एवं बुनाई की नई तकनीक अपनाकर बाजार के अनुरूप उत्पाद तैयार कर सके।

- परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा प्रशिक्षणः बिहार के 41 खादी संस्था/समितियों को लैपटॉप एवं टैली सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिससे खादी संस्था को सहजतापूर्वक लेखा का कार्य करने तथा अपना प्रगति प्रतिवेदन भेजने में आसानी हो रही है।

- खादी मॉल में Inventory Management System: परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी के सहयोग से खादी बोर्ड द्वारा संचालित खादी मॉल में Inventory Management System (IMS) लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं में भी इसे लागू करने का कार्य किया जा रहा है।

❖ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

- बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 299.20 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 5,212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2,534 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1,676 इकाइयाँ कार्यरत है।

❖ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

- आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णिया, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

❖ उद्योग मित्र

- उद्योग मित्र सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित, पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन, पूर्णतः राज्य सरकार के अनुदान पर एवं बिना लाभ हानि के चालित कार्यालय है। उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक सलाह, वांछित प्रोजेक्ट प्रोफाईल/आँकड़े/सूचनायें आदि सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना एवं इस क्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सकारात्मक सहयोग करना है।

  उद्योग मित्र द्वारा समय–समय पर औद्योगिक विषयों पर सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तथा औद्योगिक योजनाओं से संबंधित ब्रोशर/पुस्तिका आदि प्रकाशित कर राज्य के उद्यमियों, योजनाकारों, शोधकर्त्ताओं आदि को मदद करना है।

❖ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण

- हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमः संस्थान के स्थापना काल से हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान है जो दो सत्रों (जनवरी–जून एवं जुलाई–दिसम्बर) में चलाया जाता रहा है। प्रत्येक सत्र में 88 अर्थात् एक कलैंडर वर्ष में दोनों सत्र मिलाकर 176 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 800.00 रू. छात्रवृत्ति एवं पटना नगर निगम से बाहर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क छात्रावास आवंटन किया जाता है एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500.00 रू. प्रतिमाह छात्रावास भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के दर्जनों स्थलों पर हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाः वर्त्तमान युग में भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 40 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

- सामान्य सुविधा केन्द्रः भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के Integrated plan for development of handloom (IDPH) योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी। आरा (भोजपुर) एवं पत्थरकट्टी (गया) में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शेष स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

❖ राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी

- प्रत्येक वर्ष राज्य के उद्यमियों/लघु उद्योगों/शिल्पियों/बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है, जो औद्योगिक विकास हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन है।

- राज्य के ऐतिहासिक स्थानों यथा– हरिहर क्षेत्र मेला (सोनपुर), श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव एवं कोसी महोत्सव (सहरसा), राजगीर महोत्सव (नालंदा) तथा बिहार उद्योग संघ एवं बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित मेले में उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया जाता है।

❖ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

- इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है जिसमें उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया जाता है। यह राज्य के विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतीकरण हेतु एक लाभकारी योजना है। इसके लिए बिहार मंडप का निर्माण किया जाता है। साथ ही बिहार के प्रसिद्ध हैण्डलूम/हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य उत्पादों तथा मशहुर व्यंजनों का स्टॉल भी मेला में लगाया जाता है। वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। वर्ष 2019 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग, बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

उद्योग विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था/प्रशासकीय स्वरूप

उद्योग विभाग में सचिवालय स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव है जिन्हें सहयोग करने हेतु सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा उप उद्योग निदेशक, सहायक निदेशक (योजना) हैं।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय कार्यरत है।

उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए अपर निदेशक, संयुक्त उद्योग निदेशक, उप उद्योग निदेशक, सहायक उद्योग निदेशक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं। इसके अलावा बिहार सचिवालय संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक भी पदस्थापित है। निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कार्यान्वित करना है। साथ ही उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना एवं इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। उद्योग निदेशालय अंतर्गत एस.आई.पी.बी. (स्टेट इन्वेस्टमेनट प्रोमोशन बोर्ड) का सचिवालय भी कार्यरत है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा–5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय का गठन किया गया है। इस सचिवालय में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग–सह–औद्योगिक विकास आयुक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंम्पनी लि., राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग के नामित पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। निदेशक, उद्योग विभाग बिहार, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

जिला उद्योग केन्द्र

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्यालय है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ यथा– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना, जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण, जिला स्तरीय उद्योग संघों से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना एवं उससे उनको लाभान्वित कर जिला के औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना कराना, भारत सरकार की योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्यम कलस्टर विकास योजना (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) को कार्यान्वित कराना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत विशेष कलस्टर अन्तर्गत कॉमन फैसीलिटी सेन्टर स्थापित करवाना तथा इसके लिए चर्म उद्योग आधारित कलस्टर के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य एवं इसके अतिरिक्त टेक्सटाईल/अपेरल कलस्टर की स्थापना के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की ईकाई, जिन्होंने अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है वे ऑन–लाईन आवेदन कर

उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व के उद्यमी ज्ञापन ई.एम.–1, ई.एम.–2 व्यवस्था को समाप्त कर दी गयी है।

इसके साथ ही साथ जिला के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्री पदाधिकारी महाप्रबंधक होते हैं तथा इनके सहायतार्थ कार्यकारी प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अर्थ अन्वेषक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं अन्य कार्यालय कर्मी होते हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक को जिले के अन्दर सभी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदत्त है।

तकनीकी विकास निदेशालय

तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास, उद्यमिता विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादकता तथा वृहत उद्योग प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश के प्रस्तावों का समन्वय एवं अनुश्रवण के साथ–साथ उद्यमियों को परियोजनाओं के चयन में परामर्श दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति के निरूपण में तकनीकी विकास निदेशालय की प्रमुख भूमिका होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं प्रक्रिया का अन्तिम रूप तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा दिया जाता है।

इस निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु अपर निदेशक (तकनीकी), संयुक्त निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के नियंत्रण में इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का समुचित विकास एवं राज्य के रेशम/मलवरी उत्पादकों तथा बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

इस निदेशालय में निदेशक के सहायतार्थ संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (रेशम), सहायक निदेशक (बुनकर हस्तकरघा) एवं तकनीकी पदाधिकारी है। निदेशालय द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है तथा रेशम एवं हस्तकरघा विकास की केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के कार्य किये जाते हैं। साथ ही राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहकारी सहयोग समितियों का प्रशासी विभाग, उद्योग विभाग है।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) कार्यालय भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में तथा रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) कार्यालय पटना/भागलपुर/पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। आठ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, आठ मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र पाँच तसर अग्रपरियोजना केन्द्र व एक तसर क्रय विक्रय संगठन एवं अंडी रेशम फार्म बेगूसराय भी कार्यरत है। इनके सहायतार्थ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी पदस्थापित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय

इस निदेशालय में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 299.20 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 5,212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2,534 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1,676 इकाइयाँ कार्यरत है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

राज्य सरकार द्वारा राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारुपण, वित्त पोषण, पथ निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से संबद्ध विषयों पर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब कम करने के उद्देश्य से बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके तहत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन 27.04.2006 को किया गया। इस प्राधिकार के अध्यक्ष सरकार के मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष, विकास आयुक्त हैं। साथ ही भूमि अर्जन के कार्य में तीव्रता लाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के आलोक में लैंड बैंक की स्थापना 28.08.2006 को की गई। प्राधिकार के कार्यों का संपादन प्रभावी एवं सुचारु रूप से करने के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (वित्तीय, सेवा एवं तकनीकी) नियमावली, 2007 बनाई गई। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णियाँ, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

विभागीय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्राम/लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में मूल योजना उदव्यय ₹810.00 करोड़ निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अनु.जाति/अनु.जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु ₹426.80 करोड़ आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹36.00 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु ₹200.00 करोड, हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के विकास हेतु ₹13.25 करोड़, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र के विकास हेतु ₹15.95 करोड, खादी प्रक्षेत्र के विकास हेतु ₹19.30 करोड़ एवं अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण हेतु ₹50.00 करोड़ उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

- ❖ सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिये गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।
- ➢ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के

लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 से लागू की गई है। इसमें वित्तीय अधिसीमा को संशोधित करते हुए वैसे प्रस्ताव जिनमें ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़) और उससे कम निवेश हो उसे औद्योगिक विकास आयुक्त, जिनमें ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़) से अधिक और ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, जिनमें ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) से अधिक और ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग तथा माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जायेगा। ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) से उपर के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य में औद्योगिक निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 सितम्बर, 2016 से लागू है। इसके तहत निवेशकों द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फार्म में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर 30 दिनों के भीतर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रावधान है। उद्योग स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस 30 दिनों अथवा संबंधित अधिनियम/नियम में विहित समय–सीमा के अंदर किये जाते हैं। यदि इस समय–सीमा के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता हैं, तो उन उद्यमियों को डीम्ड क्लियरेन्स (Deemed Clearance) देने का प्रावधान है, जो एस.आई.पी.बी. सचिवालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। उद्यमी द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दास्तावेज मान्य होगा। विहित समय–सीमा के अंदर क्लियरेंस नहीं देने पर सक्षम प्राधिकार को दण्ड देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेन्स के लिए ऑनलाइन अनुशंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेगें। संबंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा–प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गयी नियमावली में विहित समय–सीमा के भीतर जिसके अधीन क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाध्य होगें। क्लियरेंस की सूचना ऑन–लाईन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य पर्षद का सचिवालय इससे संबंधित डीम्ड क्लियरेंस निर्गत करेगा।

- राज्य में औद्योगिक निवेश तथा व्यापार को सुगम बनाने के लिए वर्ष, 2016 एवं 2017 में विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा–सूचना की उपलब्धता, औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संसाधन संबंधी सुधार, पर्यावरण संबंधी सुधार किए गये हैं। निवेशकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का क्लियरेंस, उद्योग स्थापना/उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाईन सिंगल विण्डो क्लियरेंस पोर्टल का निर्माण किया गया है तथा उद्योग स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पाँच सीट वाले कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है।

- राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष, 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गयी है। नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु यंत्र विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें तथा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर, टेक्सटाईल प्रक्षेत्र, प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र, अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र, हेल्थ केयर प्रक्षेत्र, चमड़ा प्रक्षेत्र एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है। इस नीति के तहत स्टाम्प

ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क, भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की शत्–प्रतिशत छूट, ₹20.00 करोड़ तक ब्याज अनुदान तथा कर अनुदान देय है। इन सुधारों के उत्साहवर्द्धक परिणाम मिल रहे हैं।

नियोजन सृजन के महत्व के मद्देनजर तीन व्यापक प्रक्षेत्रों यथा– आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएँ तथा ई.एस.डी.एम. प्रक्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र तथा कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन कर उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र रखा गया। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए विशेष अनुदान यथा– स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट, भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, कर अनुदान, नियोजन खर्च सहायता तथा कौशल विकास सहायता का प्रावधान किया गया है।

कारोबार आसान करने के लिए सूचनाओं की उपलब्धता के लिए ''उद्योग संवाद पोर्टल'', औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संबंधी सुधार, कर संबंधी सुधार, वातावरण संबंधी सुधार, सिंगल विण्डो क्लियरेंस व्यवस्था, सामान्य आवेदन–प्रपत्र का प्रावधान, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान एवं बियाडा अधिनियम में सुधार का प्रावधान किया गया है।

हाल के वर्षों में राज्य के अंतर्गत औद्योगिक माहौल में हुए सुधार के कारण उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य के साथ–साथ बाहरी उद्यमियों की भी रूचि बढ़ी है। बियाडा को उद्यमियों से लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद लगातार कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन

- बिहार में लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज एवं वर्त्तमान औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया है। विभिन्न उद्योग प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में जोड़ा गया है, यथा– खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन एवं बॉटलिंग इकाइयों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि इनपुट विनिर्माण इकाइयाँ एवं गैर कृषि संयंत्र को जोड़ा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल गुड्स संबंधित निवेश के अवसर जोड़ा गया है।

  काष्ठ आधारित उद्योग प्रक्षेत्र के अन्तर्गत लुगदी और कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, टिम्बर एवं चिरान लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, लेमिनेट एवं विनीयर उत्पादन, बांस आधारित उद्योग, पार्टिकल बोर्ड उत्पादन, फाईबर बोर्ड उत्पादन एवं काष्ठ में मूल्य वर्द्धन उद्योग को जोड़ा गया है।

  सामान्य विनिर्माण उद्योग अन्तर्गत फ्लाई ऐश ब्रिक्स उत्पादन, धान का भूसा आधारित उत्पाद, कृषि अवशेष भूसा सहित आधारित उद्योग, ऑटोमोबाईल, रक्षा उपकरण निर्माण करने वाली अनुषंगी इकाइयां, आभूषण, धातु एवं फेब्रिकेशन, खेल–कूद सामग्री एवं दूरसंचार इकाइयाँ प्राथमिकता प्रक्षेत्र अन्तर्गत विचारणीय होगी।

  उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों में ई–वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र एवं इथेनॉल उत्पादन, दाल आधारित, गेहूँ आधारित तथा मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाईल, अपैरेल एवं चमड़ा सेक्टर में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत यार्न उत्पादन एवं रंगाई छपाई को जोड़ा गया है।

  कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों से बिहार के कामगार जो वापस लौटे हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी है यथा– जिला औद्योगिक नव प्रवर्त्तन योजना,

राज्य के लोक उपक्रम द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास, बड़े उद्योगों में निवेश, राज्य सरकार के उपक्रम एवं निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना, अन्य राज्यों के औद्योगिक इकाइयों का बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहन, जिला परामर्शदातृ केन्द्र तथा बियाडा विशेष आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 है।

वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र

- मे. शिवशिवा स्टील प्रा. लि., नारायण प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना द्वारा ₹3,023.77 लाख (तीस करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से ग्राम–'रायपुरा, प्रखण्ड–फतुहा, जिला–पटना में 1,20,000 एम.टी. वार्षिक क्षमता का टी.एम.टी. बार एवं क्वॉयल निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। ईकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. ए.सी.एम.ई. मगध सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹7,155.00 लाख (इकहत्तर करोड़ पचपन लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पी.भी. प्लान्ट की स्थापना की गई है। इकाई उत्पादनरत है।
- मे. ए.सी.एम.ई. नालन्दा सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹10,733.00 लाख (एक अरब सात करोड़ तेतीस लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पी. भी. प्लान्ट की स्थापना की गई है। इकाई उत्पादनरत है।
- सर्वश्री रिगल रिर्सोसेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹6,848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 180 टी.पी.डी. क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना की गई है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि., नदेशर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के द्वारा मौजा– चिपली, कर्मनाशा, प्रखण्ड– दुर्गावती, जिला– कैमूर (भभुआ) में कुल ₹3,688.90 लाख (छत्तीस करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश से 4200 मे. टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. सन्जीवन राईस मिल्स प्रा. लि., सिक्युरिटी हाउस, 23–बी., एन. एस. रोड, कोलकाता द्वारा ग्राम–बिशनपुर, ब्लॉक–चकाई, जिला– जमुई में कुल ₹3,889.30 लाख (अड़तीस करोड़ नवासी लाख तीस हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश 480 टी.पी.डी. क्षमता का आधुनिक पारब्याल्ड राईस मिल की स्थापना की जा रही है जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मे. सॉ विष्णु बेकर्स प्रा. लि., कोलकाता द्वारा चिलिम, शेरघाटी, गया में कुल ₹3,329.55 लाख (तैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 3000 मे. टन प्रतिवर्ष क्षमता का पोटैटो चिप्स/टकाटक, नमकीन आदि उत्पादन ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। अनुदान दी जा रही है।
- मे. फीदरलाइट बिल्डकॉन प्रा. लि., किशनगंज द्वारा भटगाँव, ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹2,347.33 लाख (तेईस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 1,15,500

क्यूबीक मीटर क्षमता का ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक / ब्रिक्स उत्पादन ईकाई की स्थापना की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. कृश ह्वाईट ब्रिक्स एल. एल. पी., बख्तियारपुर, पटना द्वारा ₹1,895.55 लाख (अठारह करोड़ पंचानबे लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से औटो क्लेव ईरेक्टेट कंक्रीट ब्लॉक्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. नारायणी फीड्स प्रा. लि., प. चम्पारण द्वारा ₹1,211.60 लाख (बारह करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पॉल्ट्री एवं कैटल फीड्स निर्माण ईकाई एवं गोदाम की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. आरणा फूड्स प्रा. लि., पटना के द्वारा ₹1,259.83 लाख (बारह करोड़ उनसठ लाख तेरासी हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र मक्का प्रसंस्करण के अंतर्गत ग्रीट फ्लोर, फीड निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।
- मे. मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा. लि., गोपालगंज द्वारा ₹2,422.55 लाख (चौबीस करोड़ बाईस लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता क्षेत्र में 100 शैय्या का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मे. देवघर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जमुई द्वारा ₹1,387.64 लाख (तेरह करोड़ सतासी लाख चौंसठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दी जा रही है।
- मे. जय माता दी फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि., बिहटा, पटना द्वारा ₹1,171.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकहत्तर लाख रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।
- मे. पवित्र एग्रोटेक प्रा. लि., समस्तीपुर द्वारा ₹1,447.46 लाख (चौदह करोड़ सैंतालिस लाख छियालिस हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मे. त्रिवेणी स्मेल्टर्स प्रा. लि., रायपुरा, फतुहा, पटना द्वारा ₹1,181.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकासी लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश से बिलेट निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

लघु उद्यम प्रक्षेत्र

❖ बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017

बिहार की कुल जनसंख्या का 65 फीसदी हिस्सा युवाओं का है। बिहार में प्रचुर संसाधन है और यहाँ के युवाओं में वह प्रतिभा है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सके। उनमें मेहनत का वह जज्बा है, जो हाथ लगाकर मिट्टी को सोना बना दे। बस जरूरत है इस असीम उर्जा को दिशा देने की। इसी मद्देनजर

हमने बिहार स्टार्ट–अप नीति को मंजूरी दी है। यह नीति अगले पाँच वर्षो तक प्रभावी होगी। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भिक कॉरपस के रूप में पाँच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे युवा उद्यमियों को प्रारंभिक कार्य–कलाप पर होने वाले व्यय, क्षेत्र भ्रमण, शोध, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता के रूप में प्रत्येक स्टार्ट–अप के तहत निरीक्षण एवं स्वअभिप्रमाण हेतु पाँच वर्षों के लिए छूट दी गई है। स्टार्ट–अप को राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/औद्योगिक पार्क/एस.एम.ई. कलस्टर एवं हब में दस प्रतिशत स्थान का निर्धारण किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत दिनांक 11.02.2021 तक कुल 18,377 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 1673 हैं। बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 140 स्टार्ट–अप में से 101 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त के रूप में ₹3.73 करोड़, 48 स्टार्ट–अप को द्वितीय किस्त के रूप में ₹2.82 करोड़ अर्थात कुल ₹6.55 करोड़ का भुगतान किया गया है।

❖ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के लगभग 74 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है। कृषि के बाद उद्योग ऐसा दूसरा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या का हल और तेजी से आर्थिक विकास संभव है। इसलिए हमने उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की है। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, सरकार का यह प्रयास है। बिहार में विपुल मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गई है। इस नीति में राज्य एवं राज्य के बाहर से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य, गैर परम्परागत उर्जा, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है और औद्योगिक भूमि/शेड के लीज बिक्री/अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि समपरिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क पर शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, परियोजना ब्याज अनुदान और कर से संबंधित अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, वार विडो, एसिड अटैक एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

राज्य में निवेश में प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से हमने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016 का गठन किया है। इसके तहत निवेश प्रस्ताव पर 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेना बाध्यकारी कर दिया गया है। इस विधेयक में आवेदन द्वारा स्वयं अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से क्लियरेंस से संबंधित दस्तावेजों के स्वसत्यापन का प्रावधान है। यदि समय सीमा के अंदर संबंधित विभाग द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता है तो इसमें दंड का भी प्रावधान है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् में 11.02.2021 तक की अद्यतन स्थिति :

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या	1672
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से Stage-I क्लियरेंस सहमति प्राप्त प्रस्तावों की संख्याः	1369
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से सहमति प्राप्त प्रस्तावों में प्रस्तावित पूँजी निवेशः	19348.87 (करोड़ रू.)
वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस हेतु प्राप्त प्रस्ताव की संख्या	492
वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रस्ताव की संख्या	364
वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्राप्त प्रस्तावों में प्रस्तावित पूँजी निवेश की राशि	2675.17 (करोड़ रू.)
कार्यरत इकाइयों की संख्या	278
कार्यरत इकाइयों में नियोजन	7632
कार्यरत इकाईयों में पूँजी निवेश	1943.28 (करोड़ रू.)

प्रक्षेत्रवार इकाइयों की स्थिति

सेक्टर	स्टेज–1 क्लियरेंस		कार्यरत इकाई	
	संख्या	निवेश (करोड़ रू.)	संख्या	निवेश (करोड रु.)
खाद्य प्रसंस्करण	629	4268.15	134	748.73
सामान्य प्रक्षेत्र	247	1723.95	71	278.5
प्लास्टिक एवं रबड़	163	537.88	31	114.5
पर्यटन	41	512.87	10	57.30
हेल्थकेयर	33	464.04	14	104.58
टेक्सटाईल	27	185.29	01	1.15
अक्षय उर्जा	18	5971.28	02	108.88
लघु यंत्र विनिर्माण	17	116.32	02	3.31
सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधारित सेवाएं	13	40.54	11	27.46
तकनीकी शिक्षा	10	62.03	0	0
सीमेन्ट	08	1954.41	2	498.82
चीनी मिल (विस्तार)	06	1974.99	0	0
प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल पार्क	02	679.52	0	0
अन्य	155	857.60	0	0
कुल–	**1369**	**19348.87**	**278**	**1943.28**

❖ **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011/2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016**

वित्तीय वर्ष 2020–2021 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 8,625.76 लाख़ (छियासी करोड़ पच्चीस लाख छिहत्तर हजार रूपए मात्र) की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

❖ **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना**

यह योजना पूर्णरूपेण ऑन–लाईन हैं जिसकी वजह से उद्यमी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लगभग 102 आईटम/उत्पाद को रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50.00 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 84 समान मासिक किस्तों में ब्याज मुक्त ऋण की वसूली किये जाने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में अबतक 53,570 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4005 आवेदनों को चयनित किया गया है। चयनित आवेदकों में से प्रशिक्षणोपरांत 3,723 लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹279.33 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अतः उक्त के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 को संशोधित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। इस योजना अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग में अबतक 14,711 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,594 आवेदनों को चयनित किया गया है। चयनित आवेदकों में से प्रशिक्षणोपरांत 773 लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹24.11 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

❖ **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना**

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक 07 कलस्टरों यथा– राईस मिल कलस्टर –लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल कलस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल कलस्टर– पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹2,125.28 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है।

❖ टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना बिहटा–पटना तथा लेदर गुड्स कम्प्लेक्स की स्थापना मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। मखाना कलस्टर–सुपौल, सेनेटरी पैड कलस्टर, लोदीपुर, सबौर–भागलपुर, एल.ई.डी. बल्ब

कलस्टर एवं स्टील फर्नीचर कलस्टर, पटना सिटी–पटना का DSR पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

❖ राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी.एस.यू. कलस्टर योजना अंतर्गत कुल 76 समूह की स्थापना के माध्यम से 2,258 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध 18 कलस्टरों की स्थापना की जा चुकी है।

कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों से बिहार के कामगार जो वापस लौटे हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी है।

जिला औद्योगिक नव प्रवर्त्तन योजना

प्रत्येक जिला पदाधिकारी को नवप्रवर्त्तन के तहत सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित कराने के उद्देश्य से एक नवप्रवर्त्तन निधि उपलब्ध कराई गई है। इस निधि का उपयोग लघु कार्य जैसे – सिलाई केन्द्र की स्थापना, पेभर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केन्द्र, बढ़ईगिरी केन्द्र के लिए किया जा रहा है। सूक्ष्म इकाई की स्थापना कराने के समय उनके फॉरवर्ड एवं बैंकवार्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ये इकाई लम्बे समय तक कार्यरत रह सके। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिलों को 50 लाख रूपये विमुक्त कर दिए गए हैं। कुल 206 समूहों को चिन्हित किया गया जिसमें कुल 3,441 कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जिसके विरूद्ध कुल 135 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका है।

नवप्रवर्त्तन स्टार्टअप जोन, चनपटिया, पश्चिमी चम्पारण :– चनपटिया में एक स्थान पर नवप्रवर्त्तन स्टार्टअप जोन हेतु भूमि उपलब्ध कराकर कई इकाइयों की स्थापना की गई एवं उनके लिए आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया गया। साथ ही स्थापित इकाइयों के लिए बैकवार्ड–फारवार्ड लिंकेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। संभावित उद्यमियों के साथ समस्याओं के निराकरण हेतु Single Point of Contact की व्यवस्था की गई। संदर्भित चनपटिया मोडल के आधार पर राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना :– राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इण्डिया एवं मेक इन इंडिया की परिकलपना के तहत ग्रोथ सेंटर, बेगुसराय जिले में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है। पार्क की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य के लोक उपक्रम (PSUs) द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास

राज्य के सभी लोक उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा कलस्टर आधारित विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु जिलों को गोद लिया गया है। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति ने चयनित लोक उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जिला आवंटित किया है। उद्यम के वैसे प्रक्षेत्र जिसके लिए कलस्टर स्थापित किये जा रहे हैं वें हैं:– खाद्य प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, फार्म मशीनरी, पेभर ब्लॉक/सिमेंट पोल (विद्युत), फर्नीचर निर्माण, हस्तकरघा, हस्तकला एवं चर्म आधारित उत्पाद इत्यादि। ये लोक उपक्रम इन कलस्टरों के आधारभूत संरचना हेतु अपने संसाधन से इन्हें वित्त पोषण कर रही है। लोक उपक्रम श्रमिकों के डाटा बेस के आधार पर शिल्पियों/कुशल श्रमिकों की पहचान कर कलस्टर का निर्माण कर रही है। लोक उपक्रमों द्वारा इन कलस्टरों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज की व्यवस्था तथा प्रबंधकीय सहायता कम से कम तीन वर्षों के लिए की जायेगी। इस योजनान्तर्गत कुल 76 कलस्टर/समूह को चिन्हित किया गया है जिसमें 2,258 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध 18 कलस्टरों की स्थापना की जा चुकी है।

बड़े उद्योगों में निवेश

बिहार राज्य औद्योगिक नीति में भी अनेक परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे निवेश जिसमें 500 करोड़ से उपर का निवेश या 500 कामगारों से अधिक को रोजगार सृजन हो ऐसे इकाइयों को बिहार राज्य औद्योगिक नीति में प्रावधान के अतिरिक्त और सुविधाएं दी जाएगी।

राज्य सरकार के उपक्रम एवं निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना :

राज्य सरकार के उपक्रम देश के ख्याति प्राप्त निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। राज्य के लोक उपक्रमों को श्रम प्रधान विनिर्माण प्रक्षेत्र की वैसी प्रमुख निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं। कुछ प्रक्षेत्र जो इस कंडिका के अन्तर्गत विचारणीय होंगी, इस प्रकार है :–

खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाईल, वस्त्र निर्माण और फार्म मशीनरी आदि। राज्य के लोक उपक्रम इन संयुक्त उद्यमों के इक्विटी में संयुक्त रूप से निवेश करेगी। यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठनों को राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने में सहुलियत प्रदान करेगी।

अन्य राज्यों के औद्योगिक इकाइयों का बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहन :

राज्य से बाहर ऐसी इकाइयाँ जिनमें बिहार राज्य के कामगार कार्यरत थे, ऐसी इकाइयों को बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गई जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से 12 महीनों के लिए वैध होगा। इस अवधि में आवेदन करने वाली इकाई इस विशेष अनुदान के पैकेज को जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद उपर्युक्त शर्त्तों के साथ प्राप्त स्वीकृति की तिथि से 12 महीने के अवधि के लिए पैकेज प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस विशेष पैकेज के लाभ के लिए इच्छुक इकाई के लिए बिहार लौटे श्रमिकों के पुल से कम से कम 20 प्रतिशत नियोजन बाध्यकारी होगा। ये इकाइयाँ जिला परामर्शदातृ केन्द्र से सूची प्राप्त करेगी और उसे संबंधित श्रमिकों के सम्पुष्टि के उपरांत अपने प्रस्ताव में शामिल करेगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन के पश्चात 03 वर्षों के अंतर्गत ये इकाइयाँ अपने पूर्ण क्षमता के अनुरूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगी। बिहार लौटे श्रमिकों को रोक रखने के उद्देश्य से ये इकाइयाँ एक वर्ष के अंत तक अपने क्षमता के 25 प्रतिशत तक Trial Production कर सकेगी।

दूसरे राज्यों से बिहार राज्य में प्लांट एवं मशीनरी को पुर्नस्थापित करने हेतु परिवहन एवं अन्य व्यय तथा उनके स्थापना एवं चालू करने में हुए व्यय का 80 प्रतिशत को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् उन्हें प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80 प्रतिशत इकाई को प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। उत्पादित वस्तुओं के राज्य के बाहर बिक्री करने की स्थिति में उनके परिवहन पर हुए व्यय भी सम्मिलित होगा। इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक रहेगी। सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति / क्लियरेंस जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के लिए आवश्यक है, को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 6(4) एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की नियमावली 9 के अनुसार डीम्ड क्लियरेंस दिया जायेगा। ऐसी इकाइयों को एक वर्ष के लिए विभिन्न एजेंसियों (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं अग्नि शमन निदेशालय को छोड़कर) जाँच की आवश्यकता से छूट रहेगी, यदि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृति में विशेष कोई उल्लेख न हो। ऐसी इकाइयों को यदि वे ई.एस.आई. में पूर्व के राज्य से निबंधन लिए हुए हो तो उन्हें बिहार में अलग से ई.एस.आई. निबंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वह बिहार राज्य के लिए मान्य होगा। 01 वर्ष के लिए ई.पी.एफ. में कर्मियों का अपने वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान और नियोक्ता का

12 प्रतिशत अंशदान की प्रतिपूर्ति इकाई को की जाएगी। इस प्रावधान के अंतर्गत पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले में एक ईकाई सूरत से बेतिया आकर उत्पादन से संबंधित मशीनरी एवं अन्य आधारभूत संरचना (Infrastructure) लगाया गया है।

इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

जिला परामर्शदातृ केन्द्र :

विभिन्न जिलों में जो कामगार अन्य राज्यों से लौटे हैं उनके काउंसलिंग के लिए जिला परामर्शदातृ केन्द्र का गठन किया गया है। सभी कामगार इस केन्द्र से सम्पर्क कर सकेंगे। जिला स्तरीय परामर्शदातृ केन्द्र श्रमिकों के कौशल स्तर (कौशल दक्षता) का परीक्षण करेगी और राज्य में नियोजन के उपलब्ध अवसर के विकल्पों का सुझाव देगी। यह केन्द्र जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी जो उस केन्द्र के कार्यो की प्रगति की निरंतर निगरानी करेंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद एवं अन्य समितियाँ (यथा उचित) जिला परामर्शदातृ केन्द्र के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में बड़ी संख्या में श्रमिक नियोजित हो सके। जिला परामर्शदातृ केन्द्र सभी जिलों में कार्यरत हो चुका है जिसमें 2,19,175 लोगों का निबंधन किया गया है एवं कुल 27,821 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बियाडा विशेष आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 :

राज्य में आकर्षक दरों एवं आसान शर्त्तों पर भूमि की उपलब्धता हेतु बियाडा की नई भूमि आवंटन नीति, 2020 लाई गई है। इस नीति में आवंटन योग्य भूमि का 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए आरक्षित होगी। साथ ही 10 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला उद्यमी के लिए आरक्षित रहेगी। भूमि आवंटन की अहर्त्ता शर्तों में बाहर से लौटे श्रमिकों को नियोजन देने वाली इकाइयों को प्राथमिकता मिलेगी। बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस परियोजना में प्लांट एवं मशीनरी में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव होगा या 500 से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा, उसे भूमि आवंटन के मामले में 10 अंकों की वरीयता दी जाएगी और उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर आवंटन होगा। बियाडा के भू–आवंटन की दरों में भी छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही आवंटी आवंटित भू–खण्ड का हस्तांतरण दूसरे उद्यमी को कर सकता है तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अनुरूप कार्यकलाप में भी बदलाव कर सकता है। बियाडा की अधिकांश भू–खण्ड मुकदमेबाजी के कारण उपयोग में नहीं आ पा रही थी, उसके लिए नीति में एक बार के लिए आम माफी का प्रावधान किया गया है।

❖ **निवेश आयुक्त कार्यालय :**

राज्य के औद्योगिक वातावरण में सुधार एवं इच्छुक उद्योगपतियों/अप्रवासी भारतीय/बिहारी समुदाय से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार फाउण्डेशन, मुम्बई चैप्टर के द्वारा दिनांक 15.04.2012 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के साथ उद्योग एवं वित्त क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक बैठक होटल ट्राइडेन्ट, नरीमन प्वाईंट, मुम्बई में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ उद्योगपतियों द्वारा बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे, जो बिहार में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्यावधि एवं दीर्घावधि के लिए सहायक सिद्ध हो सकेगा इसके मद्देनजर मुम्बई में निवेश आयुक्त का कार्यालय खोलने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 1459 दिनांक 26.03.2013 द्वारा तीन वर्षों के लिए योजना मद में दी गई थी।

अंततः राज्य सरकार ने निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना हेतु दो नियमित पदों (निवेश आयुक्त, मुम्बई एंव उप निवेश आयुक्त, मुम्बई) का सृजन, तीन प्रोफेशनल कर्मी एवं दो सहयोग कर्मी (कार्य आधारित सेवा पर) स्वीकृति दिनांक 19.05.2017 को प्रदान की है।

वर्तमान में निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय वित्तीय वर्ष 2017 –18 (माह मई 2017) से बी.के.सी. एम.टी.एन. एल. बिल्डिंग, बान्द्रा कुर्ला कम्पलेक्स, मुम्बई में कार्यरत है।

निवेश आयुक्त कार्यालय के प्रयास से बिहार में माह जनवरी, 2020 तक कुल ₹914.00 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹492.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹342.00 करोड़ एवं 2019–20 में ₹80.00 करोड़) का On Ground पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें कुल 2110 लोगों को सीधे नियोजन प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण निवेश निम्नवत हैः–

1.	M/S Tata Memorial Hospital	₹192.00 करोड़
2.	M/S Shree Cements Ltd.	₹300.00 करोड़
3.	M/S Britania Industries Ltd.	₹206.00 करोड़
4.	M/S Abis Exports (India) Pvt. Ltd.	₹125.00 करोड़
5.	M/S Digital Pvt. Ltd.	₹80.00 करोड़

वर्त्तमान में यह कार्यालय बड़े निवेशों के लिए Promotion, Facilitation तथा After Care का कार्य कर रहा है। इसके अलावे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का क्रियान्वयन निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश ज्ञापांक 643, दिनांक 06.10.2018 द्वारा अवर सचिव का एक पद सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 –19 में कुल 43 मरीजों के बीच ₹31,10,000/– (एकतीस लाख दस हजार रुपए मात्र) वित्तीय वर्ष 2019–20 में 408 मरीजों के बीच ₹3,26,70,000/–(तीन करोड़ छब्बीस लाख सत्तर हजार रुपए मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2020– 21 में (15 फरवरी, 2021) 168 मरीजों के बीच ₹1,43,82,000/–(एक करोड़ तैंतालीस लाख बेरासी हजार रुपए मात्र) अर्थात अबतक कुल 619 मरीजों के बीच कुल ₹5,16,02,000/–(पाँच करोड़ सोलह लाख दो हजार रुपए मात्र) की राशि वितरित किया गया है।

बिहार फाउन्डेशन :

बिहार फाउन्डेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है। बिहार फाउन्डेशन के गठन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक रूप से राज्य के बाहर, देश–विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। बिहार फाउन्डेशन का वर्त्तमान स्वरूप वस्तुतः बिहारी डायस्पोरा और गृह राज्य बिहार के बीच एक संबंध सूत्र (Connecting Link) का है। बिहार फाउन्डेशन का मुख्य उद्देश्य Bonding, Branding & Business के रूप में चिन्हित किया गया है।

देश एवं विदेशों में बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउन्डेशन के उद्देश्यों के प्रति एकजुटता की वजह से अब तक कुल 21 (इक्कीस) चैप्टर्स खुल चुके हैं जिनमें विदेशों में 12 (बारह) चैप्टर्स एवं भारत में 9 (नौ) चैप्टर्स हैं। विदेशों में यू.एस.ए., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हांगकांग,

संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), सिंगापुर, न्यूजीलैंड तथा जापान हैं। भारत में नौ यथा– मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नागपुर वाराणसी, गुजरात तथा गोवा शामिल है।

बिहार फाउन्डेशन द्वारा सोशल मीडिया के व्यापक तथा विस्तृत पहुँच को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा– फेसबुक पेज, ट्वीटर, यू ट्यूब के माध्यम से बिहार की सकारात्मक तथा उभरती छवि को देश–विदेश में अवस्थित प्रवासी बिहारियों तक पहुँचाया जा रहा है। बिहार फाउन्डेशन के सोशल मीडिया प्लैटफार्म की वर्तमान स्थिति निम्नवत हैः–

- फेसबुक–6.7 लाख लाईक्स
- ट्वीटर– 12.5 हजार फॉलोवर्स
- यू ट्यूब– 9.7 लाख व्यूज़

कोरोना वाइरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु दिनांक 25 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक सम्पूर्ण भारत में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे गरीब बिहारी एवं दिहाड़ी मजदूरों को राज्य सरकार के आदेशानुसार, बिहार फाउन्डेशन द्वारा देश में अवस्थित कुल 9 चैप्टर्स यथा– मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नागपुर, गुजरात, गोवा, वाराणसी सहित अन्य सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवक (Volunteers) के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें भोजन/राशन तथा आवासन की सुविधा प्रदान की गई। इन चैप्टर्स के अतिरिक्त कर्नाटक बिहार फाउन्डेशन, बेंगलुरू, आम बिहारी कल्याण मंच, सिक्किम तथा दिल्ली अवस्थित कुल 13 केन्द्रों के माध्यम से भी वहां फंसे बिहारी मजदूरों/गरीब व्यक्तियों के लिये भोजन/राशन की व्यवस्था की गई। 37 दिन तक चले इस देशव्यापी सहायता कार्यक्रम में बिहार फाउन्डेशन द्वारा 42 राहत केन्द्रों में कार्यरत 600 से अधिक सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की मदद से गरीब एवं लाचार बिहारियों को 12 लाख से अधिक बार भोजन प्रदान किया गया तथा तकरीबन 61 हजार लोगों को सूखा राशन दिया गया। इसके अतिरिक्त इनके आवासन हेतु महाराष्ट्र में 5 तथा तमिलनाडु में 1 आश्रय घर भी स्थापित किये गये, जिनकी कुल क्षमता तकरीबन 6 हजार की थी।

वर्तमान समय में बिहार फाउन्डेशन द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत समाज सेवकों के माध्यम से कोविड 19 के मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई। इस कड़ी में एक्ट ग्रान्ट के तरफ से 200 तथा बिहार फाउन्डेशन चैप्टर्स की तरफ से 66 ऑक्सीजन सिलेंडर का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त JM Financial Trust, मुंबई की तरफ से Micro RT-PCR मशीन प्रदान किया गया जिसे मुज़फ्फरपुर में लगाया गया है। यह कार्यक्रम पूर्णतः समाज सेवकों एवं विभिन्न समाज सेवी संस्थानों से प्राप्त संसाधनों के माध्यम से संचालित किया गया एवं वर्तमान में भी संचालित किया जा रहा है। अभी तक कुल 862 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेन्डर तथा 8,000 मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया जा चुका है।

बिहार के कैंसर पीड़ीत मरीजों को मुम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज कराए जाने हेतु मुम्बई चैप्टर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिए एक 'मेडिकल सोशलवर्कर' बिहार फाउन्डेशन की तरफ से मरीजों की सहायतार्थ टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई पर तैनात किया गया है।

❖ खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय :

खाद्य प्रसंस्करण की समेकित विकास योजनान्तर्गत जनवरी, 2019 से अगस्त, 2019 तक कुल 413 इकाइयों को पी.ए.एम.सी. की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹4,74,399.35 लाख है

तथा कुल स्वीकृत अनुदान ₹94,081.09 लाख है। कुल 325 इकाइयों को अनुदान स्वरूप ₹64,570.00 लाख विमुक्त की गयी है। कुल 336 इकाइयाँ उत्पादनरत हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कुल 49,200 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

यह योजना 30.06.2016 को समाप्त हो गयी है। वर्त्तमान में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लंबित दावों का निष्पादन किया जा रहा है।

❖ **फैसिलिटेशन कॉन्सिल :**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल गठित है, जिसके समक्ष आपूर्त्तिकर्त्ता इकाइयों के लंबित भुगतान के मामलों पर सुनवाई की जाती है एवं उभय पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश एवं आदेश पारित किया जाता है। विलंबित भुगतान के लिए क्रेता को रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तिगुना चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करने का प्रावधान है जिसकी गणना मासिक की जानी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कॉन्सिल की बैठक में कुल 18 इकाइयों के लंबित भुगतान के मामलों पर सुनवाई की गई।

❖ **उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण :**

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं का विकास, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, विपणन, अनुरक्षण, नये–नये नमूनों के डिजाइन का निर्माण, उच्च प्रशिक्षण हेतु राज्य के शिल्पियों को राज्य से बाहर अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शोध हेतु संस्थान द्वारा हस्तशिल्प के प्रक्षेत्र में निम्नांकित विकास योजनाएँ विगत वर्षों से चलाई जा रही है :

➢ **डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला :** वर्त्तमान युग में भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 45 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

➢ **राज्य पुरस्कार चयन हेतु प्रतियोगिता :** संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों को राज्य पुस्कार से पुरस्कृत करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के सैकड़ों शिल्पी प्रतियोगिता स्थल पर ही 09 दिनों तक रहकर नमूनों का निर्माण करते हैं और उन नमूनों में से 20 नमूनों को राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों की निर्णायक समिति द्वारा स्टेट एवार्ड के लिए चुना जाता है।

➢ **मेला/प्रदर्शनी/समारोह :** बिहार हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला में मेला / प्रदर्शनी / समारोह का आयोजन किया जाता है। जिसमें राज्य के शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर उनको लाभान्वित किया जाता है, साथ ही राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्प के विरासत से रू–ब–रू कराया जाता है।

➢ **सामान्य सुविधा केन्द्र :** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

❖ राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी

प्रत्येक वर्ष राज्य के उद्यमियों/लघु उद्योगों/शिल्पियों/बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है, जो औद्योगिक विकास हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन है।

राज्य के ऐतिहासिक स्थानों यथा– हरिहर क्षेत्र मेला (सोनपुर), श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव एवं कोसी महोत्सव (सहरसा), राजगीर महोत्सव (नालंदा) तथा बिहार उद्योग संघ एवं बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित मेले में उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया जाता है।

➢ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है जिसमें उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया जाता है। यह राज्य के विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतीकरण हेतु एक लाभकारी योजना है। इसके लिए बिहार मंडप का निर्माण किया जाता है। साथ ही बिहार के प्रसिद्ध हैण्डलूम/हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य उत्पादों तथा मशहुर व्यंजनों का स्टॉल भी मेला में लगाया जाता है। वर्ष 2020 में Covid–19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। वर्ष 2019 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग, बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

➢ **बिहार उत्सव नई दिल्ली एवं पटना :** बिहार उत्सव का आयोजन का प्रत्येक वर्ष 16–31 मार्च तक आई.एन.ए. दिल्ली हाट, नई दिल्ली एवं 22–24 मार्च तक गाँधी मैदान, पटना में किया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गौरवशाली विरासत एवं प्रगतिशील बिहार को जन–जन तक पहुँचाने के साथ–साथ राज्य के शिल्पियों/बुनकरों को Boost up करना है। बिहार के प्रसिद्ध हैण्डलूम/हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य उत्पादों तथा मशहुर व्यंजनों का स्टॉल भी मेला में लगाया जाता है। वर्ष 2020 में Covid–19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका।

➢ **प्रवासी भारतीय दिवस :** प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भारत के किसी शहर में 9 जनवरी के आस–पास किया जाता है। इस आयोजन में राज्य के निवेश एवं व्यापार की संभावनाएँ, राज्य के विकास, पर्यटन क्षेत्र आदि से संबंधित Showcasing किया जाता है। इस आयोजन में उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया जाता है। वर्ष 2019 में इसका आयोजन वाराणसी (उ.प्र.) में किया गया था, जिसमें उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया गया। वर्ष 2021 में Covid–19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका।

❖ उद्योग मित्र

उद्योग मित्र सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित, पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन, पूर्णतः राज्य सरकार के अनुदान पर एवं बिना लाभ हानि के चालित कार्यालय है। उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक सलाह, वांछित प्रोजेक्ट प्रोफाईल/ आँकड़े/सूचनायें आदि सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना एवं इस क्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सकारात्मक सहयोग करना है।

उद्योग मित्र द्वारा समय–समय पर औद्योगिक विषयों पर सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तथा औद्योगिक योजनाओं से संबंधित ब्रोशर/पुस्तिका आदि प्रकाशित कर राज्य के उद्यमियों, योजनाकारों, शोधकर्त्ताओं आदि को मदद करना है।

कौशल विकास मिशन कार्यक्रम

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सात निश्चय के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप युवक/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (बी.एस.डी.एम.) के गाईडलाईन के अनुसार उनके अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होता है। उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण संचालित कराया जाता है। प्रशिक्षण आवासीय/गैर–आवासीय है। प्रशिक्षण के पश्चात् लगभग 70–80 प्रतिशत् प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित कराया जाता है। अबतक लगभग 2,600 युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोविड–19 महामारी के कारण पूर्व के सभी बैच जो स्थगित थे पुनः जनवरी, 2021 से प्रारंभ हुए हैं जिसमें 1,068 युवक/युवतियों का प्रशिक्षण चल रहा है।

❖ **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 2,822 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹8,466.00 लाख के विरूद्ध बैंको के माध्यम से अबतक 18,098 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं को भेजा गया है। बैंक द्वारा अबतक 1,063 आवेदकों के बीच ₹3,599.39 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप वितरित की गयी है।

❖ **हस्तकरघा प्रक्षेत्र (राज्य प्रायोजित)**

सूत आपूर्ति की योजना– कार्यशील पूँजी के अभाव में बुनकरों द्वारा ससमय सूत का क्रय नहीं होने के कारण उनके द्वारा माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार करने में कठिनाई होती है जिसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मात्र 10 प्रतिशत अग्रिम एवं 45 दिनों के क्रेडिट बेसिस पर सूत की आपूर्ति राज्य के हस्तकरघा/ऊलेन शीर्ष/क्षेत्रीय सहकारी संघ को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) के ई–धागा पोर्टल/ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। एन.एच.डी. सी.लि., कोलकाता द्वारा आवेदक एजेंसी को माँग के अनुसार उचित/प्रतिस्पर्धित दर पर गुणवत्तायुक्त सूत की आपूर्ति किया जा रहा है। NHDC को एक करोड़ रूपये गारन्टी के रूप में उपलब्ध कराया गया है। योजना की अवधि 2017–2018 से 2021–2022 तक है। अबतक ₹86.42 लाख मूल्य के सूत की आपूर्ति लाभुक एजेंसी को किया गया है।

हैण्डलूम मार्क निबंधन की योजना– हैण्डलूम मार्क न केवल हाथ से बने वस्त्रों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीददार के लिए इस बात की गारंटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना गया है। इस मार्क से उत्पाद एवं निर्माता के नाम की स्पष्ट पहचान होगी।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू.आई.डी. उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराने की योजना के तहत् कुल 15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत 746 हैण्डलूम मार्क निबंधन एवं लेवल इन्टाईटेलमेन्ट पत्र वितरित किया गया है।

➢ **हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना–** हस्तकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा बाजार माँग के अनुरूप उनके द्वारा सूत क्रय कर वस्त्र का निर्माण करने हेतु उन्हें दिया जाता है। इसका लाभ पात्र पाटी लूमधारक केबल बुनकरों

को भी मिलता है तथा राशि सीधे लाभुक हस्तकरघा बुनकरों के बैंक खाते में दी जाती है। अब तक योजनान्तर्गत 5,610 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹71.20 लाख (एकहत्तर लाख बीस हजार) मात्र की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

हैण्डलूम हाट की योजना– राज्य के हस्तकरघा बुनकर ''हैण्डलूम हाट'' में अपने उत्पादन को सुचारू रूप से बिक्री कर सके और उन्हें पूंजी की कमी न हो। इसे ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों को ''हैण्डलूम हाट'' में बिक्री के निमित्त आपूर्ति किये गये वस्त्रों के मुल्य का 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹23.75 लाख (तेईस लाख पचहत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

इन्टीग्रेटेड उन स्पीनिंग मिलिंग एवं फिनिशिंग तथा कॉटन पुनी प्लांट की योजना– राज्यान्तर्गत कम्बल बुनकरों को ऊनी सूत या उनी धागा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेहरी ऑन सोन, रोहतास में इन्टीग्रेटेड उन स्पीनिंग मिलिंग एवं फिनिशिंग तथा कॉटन पुनी प्लांट की स्थापना की जानी है जिससे राज्य के बुनकरों को स्थानीय स्तर पर उल सूत की प्राप्ति उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो जायेगी। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹800.00 लाख (आठ करोड़) मात्र की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(केन्द्र प्रायोजित)

1. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना–** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को 2.00 लाख जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत पात्र बीमित हस्तकरघा बुनकर का अंशदान 80.00 (अस्सी) का राज्य के बुनकर कल्याण कोष से भुगतान किया जा रहा है। 787 बुनकरों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(विद्युतकरघा प्रक्षेत्र)

गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत 100.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि पावर लूम उद्योग बन्द होने के कगार से वंचित हो सके तथा बुनकरों का रोजी रोजगार बरकरार रहे। 78 विद्युतकरघा इकाइयाँ लाभ प्राप्त कर चूकी है। प्रति विद्युतकरघा इकाई को 6,900.00 का प्रतिपूर्ति किया जाता है।

विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युत अनुदान की योजना– विद्युतकरघा द्वारा वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर दि.–01.02.2014 से ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। इससे राज्य में विद्युत करघा प्रक्षेत्र में वस्त्र बुनाई के लागत व्यय में कमी आ रही है, उनके आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रही है। अब उक्त अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युत करघा बुनकरों के विद्युत विपत्र में ही ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से राशि काटकर बुनकरों को विपत्र उपलब्ध कराया जाता है। उक्त कटौती की गई राशि की भरपाई विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति कम्पनी को सीधे भुगतान कर दी जाती है। अब तक इस योजनान्तर्गत 11,318 विद्युतकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मलवरी विकास परियोजना :

राज्य में मलवरी विकास की संभावनाओं को देखते हुए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों में जीविका के सहयोग से मलवरी विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मलवरी की आधा एकड़ खेती के लिए मनरेगा निधि से किसानों को 35,268.00 एवं अगले दो वर्ष रख–रखाव के लिए 17,700.00 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य योजना मद से लाभुकों को सिंचाई व्यवस्था विकसित करने के लिए 5 लाभुकों के समूह में 46,875.00 का डीजल पंपसेट एवं अनुषंगी सामग्री, प्रति लाभुक 18,750.00 का कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए 60,000.00 की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। लाभुकों को प्रशिक्षण, अध्ययन भ्रमण की भी व्यवस्था है। किसानों द्वारा उत्पादित मलवरी ग्रीन कोए का लाभकारी मूल्य पर विपणन सुनिश्चित करने के लिए कोए के ग्रेड A, B, C & D के अनुसार 350/–, 300/–, 250/– एवं 150/– प्रति किलो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। मलवरी उत्पादक समुह द्वारा लाभुकों से उत्पादित सारे ककून क्रय कर लिए जायेगें और इससे सूत एवं वस्त्र का उत्पादन कराया जायेगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी जीविका की होगी। किशनगंज स्थित रीलिंग यूनिट को जीविका के माध्यम से चालू करने पर कार्य किए जाने के साथ–साथ एक और मलवरी रीलिंग इकाई की स्थापना जीविका द्वारा किशनगंज में स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इससे राज्य में उत्पादित मलवरी कोए का स्थानीय स्तर पर सूत उत्पादन हो सकेगा।

वर्तमान में 6,360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4,667 किसानों द्वारा अबतक 2,335.5 एकड़ में शहतूत की खेती की गई है। 1,875 लाभुकों को सिंचाई सुविधा, 2,669 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 925 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गई है। वर्ष 2019–20 में 1.24 लाख रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 24.69 मि.टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है। 15 नोडल सेंटर की स्थापना कर 1,180 किसानों को संबद्ध कर दिया गया है।

तसर विकास परियोजना :

बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5,434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2019–20 में राज्य में 45.51 मि.टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के तहत 3416 हेक्टर निजी भूखंड एवं 6120 हेक्टर वन भूमि पर तसर पौधे लगाये गये हैं। तसर सूत उत्पादन के लिए बांका में 6 CFC स्थापित किया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारवरण कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में 1–1 प्रशासनिक भवन एवं 5–5 बीजागार भवन, 1–1 ककून बैंक भी स्थापित किया गया है। बांका जिला में कुल 12 बीजागार भवन का निर्माण किया गया है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 2,860 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त 266 व्यक्तियों को तसर कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

थाई रीलिंग उन्मूलन योजना के तहत बांका एवं भागलपुर के 661 थाई रीलरों को बुनियाद मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सभी 661 महिला थाई रीलिंग को प्रशिक्षित करते हुए उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया है। योजना में शेष नये महिला थाई रीलिंग को लाभान्वित करने के क्रम में जीविका द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सूची प्राप्त होते ही इन्हें भी लाभान्वित किया जायेगा।

अण्डी :

बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान में 1,373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2020–21 में 8.15 मि.टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में 105 व्यक्तियों को अण्डी की खेती एवं कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए दो किस्तों में 70,000/– की सहायता प्रत्येक लाभुकों को दी गई है। सभी लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में 200 लाभुकों को 15 दिन का अण्डी रेशम कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

हस्तकरघा एवं रेशम भवन :

रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1,364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है जो कि अंतिम चरण में है। निर्माणाधीन भवन में भागलपुर स्थित सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के हस्तकरघा एवं रेशम से जुड़े कार्यालय आवासित होगें। उक्त भवन में रेशम उत्पादों की बिक्री हेतु इम्पोरियम की व्यवस्था के साथ–साथ सिल्क उत्पादों के प्रदर्शन की व्यवस्था होगी।

बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर :

संस्थान में दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स इन सिल्क टेक्नोलॉजी पाठायक्रम संचालित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के लिए 20 सीट प्रति शिक्षण सत्र निर्धारित की गयी है। संस्थान में बंद चार वर्षीय डिग्री कोर्स इन सिल्क/टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पाठयक्रमों की पढ़ाई पुनः प्रारंभ करने हेतु AICTE , नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार से संबद्धता प्राप्त कर ली गयी है। आधारभूत संरचना विकास अंतर्गत संस्थान के कैम्पस में टेक्सटाईल्स टेस्टिंग लैब एवं कैड भवन का निर्माण किया जा चुका है। उक्त इकाई में मशीन/उपकरणों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार राज्य में रेशम विकास के माध्यम से ग्रामीण आबादी को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

खादी :

बिहार राज्य में अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के लिए बिहार सरकार द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजना लागू की गई है। बिहार में खादी तथा ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं अन्य नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं, तथा खादी के नई तकनीकी को अपनाकर राज्य के बुनकरों एवं कारीगरों के पलायन को रोका जा रहा है। इसके साथ ही खादी वस्त्र के उत्पादन एवं बिक्री की क्षमता को बढ़ाकर खादी संस्था/समितियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत खादी संस्था/समितियों को निम्न प्रकार के लाभ दिये जा रहे हैं :–

- **कटिया चरखा एवं कार्यशील पूंजी का वितरण :** खादी की 15 संस्था/समितियों को 270 नग कटिया चरखा इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 04 संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 29 संस्था को कार्यशील पूँजी देने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि खादी वस्त्रों के उत्पादन के गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

- खादी के योजना के कार्यान्वयन तथा खादी के विकास के लिए विभाग द्वारा परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी नियुक्त है। जिनके द्वारा खादी के उत्पादन कार्यों में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए कार्य किये जा रहे हैं। बिहार में स्थित खादी संस्थाओं का Baseline Survey Grant Thornton India LLP द्वारा किया गया है। इन खादी संस्थाओं का Baseline Survey& Diagnostic Study Report बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्त्तमान में खादी संस्थाओं की जो स्थिति है उसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण, बुनाई की नई तकनीक, नए डिजाइन आदि के लिए हस्तक्षेप (Intervention) की आवश्यकता है। वर्त्तमान में खादी संस्थाओं द्वारा जो डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं, वो डिजाइन बाजार के अनुरूप नहीं है जिसके कारण उनकी बाजार में माँग कम है। जिसके तहत् आवश्यक Intervention कर इन खादी संस्था को इस रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि वे कताई एवं बुनाई की नई तकनीक अपनाकर बाजार के अनुरूप उत्पाद तैयार कर सके।

- **आधुनिक डिजाइन :** विभाग द्वारा नियुक्त परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी के डिजाइनर द्वारा बाजार में प्रचलित 17 आधुनिक डिजाइन को विकसित किया गया है, जिसे खादी संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया गया है तथा जिसपर खादी संस्थाओं द्वारा कार्य भी किया जा रहा है।

- **पी.एम.ए. द्वारा प्रशिक्षण :** बिहार के 41 खादी संस्था/समितियों को लैपटॉप एवं टैली सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिससे खादी संस्था को सहजतापूर्वक लेखा का कार्य करने तथा अपना प्रगति प्रतिवेदन भेजने में आसानी हो रही है।

- **खादी मॉल में Inventory Management System:-** परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी के सहयोग से खादी बोर्ड द्वारा संचालित खादी मॉल में Inventory Management System (IMS) लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं में भी इसे लागू करने का कार्य किया जा रहा है।

❖ खादी मॉल एवं खादी पार्क का निर्माण :

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान खादी का प्रयोग भारतीय जनता के आर्थिक शोषण के विरूद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा शुरू किये गए शांतिपूर्ण आन्दोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए खादी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक विचारधारा है और समृद्ध विरासत के रूप में हमारे सामने है। वर्तमान दौर में जब अमीर–गरीब के बीच की आर्थिक खाई और चौड़ी होती जा रही है, उसे पाटने में खादी एक कारगर हथियार हो सकता है। खादी प्रक्षेत्र को बढ़ावा देकर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के गरीब तबकों को उनके दरवाजे पर रोजगार मुहैया कराकर समतामूलक समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसलिए बिहार में बापू के ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हमने खादी पुर्नरूद्धार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों और कतिनों को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किये जा रहे हैं। बिहार खादी का ब्रान्ड विकसित किया गया है और खादी में नए–नए डिजाइन तैयार कर उसकी बिक्री प्रारंभ की गई है। इसके लिए देश के सिबसे बड़े खादी मॉल का निर्माण पटना के पूर्वी गाँधी मैदान में किया गया है, जिसका उद्घाटन पिछले 5 नवम्बर को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस मॉल में खादी वस्त्रों की रिकार्ड तोड़ बिक्री को देखते हुए हमने राज्य के गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में खादी पार्क का निर्माण का निर्णय लिया है। इन जगहों पर खादी पार्क बनाने के लिए मॉडल को मंजूरी दे दी गई है और अब उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

हमने दिल्ली के बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर अवस्थित बिहार इम्पोरियम का लगभग चार करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया है और उस भव्य एवं आकर्षक बिहार इम्पोरियम में खादी, हस्तशिल्प एवं सिल्क की बिक्री प्रारम्भ कर दी गई है।

हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट हाट का निर्माण :

बिहार के औद्योगिक पुर्ननिर्माण में हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र एवं हुनर पर आधारित कुटीर एवं लधु उद्योग है, जिसमें रोजगार सृजन की विपुल संभावनायें है। यह क्षेत्र ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए हमने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र के विकास पर पूरा जोर दिया है। इसके तहत शत–प्रतिशत अनुदान पर लूम क्रय तथा बुनकरों के लिए कर्मशाला का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही उसने मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना और मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर हस्तकरघा क्षेत्र के नयी ऊँचाई देने की कोशिश की है। आप सभी जानते हैं कि मधुबनी का सूती वस्त्र और भागलपुर का सिल्क उद्योग अपनी खूबियों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अभी तक पटना में एक भी ऐसी दुकान नहीं है, जहाँ से लोग हैण्डलूम उत्पादों को खरीद सके। दूसरी तरफ राज्य के बुनकरों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे पटना में किराया पर दुकान लेकर अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। पटना में हैण्डलूम हाट की मांग राज्य के बुनकरों द्वारा की जा रही थी। इसलिए हमने पटना के फ्रेजर रोड स्थित बिहार राज्य वित्त निगम के भवन में भूतल से लेकर द्वितीय तल तक हैण्डलूम हाट का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। इस हैण्डलूम हाट में लगभग 26,000 वर्गफीट जमीन पर हाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से 2,000 वर्गफीट पर हैण्डलूम तथा 6,000 वर्गफीट पर राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री की जायेगी। इस हैण्डलूम हाट का संचालन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा किया जायेगा। हैण्डलूम हाट उद्घाटन के लिए हमें 22 मार्च, 2020 की समय–सीमा भी निर्धारित कर दी है।

❖ **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार :**

बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 299.20 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 5,212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2,534 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1676 इकाइयाँ कार्यरत है।

❖ **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार :**

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णियाँ, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

वर्ष 2021–22 का भावी योजनाएँ/कार्यक्रम

- राज्य में उद्यमिता विकास की दिशा में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बिहार, सात निश्चय पार्ट–2 के तहत अन्य वर्ग के युवा एवं महिला उद्यमियों को जोड़ते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹200.00 करोड़ एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का कुल ₹200.00 करोड़ का उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्रस्तावित है।

- बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद में प्रावधानित एस.आई.पी.बी. सचिवालय को और अधिक सशक्त एवं प्रभावकारी बनाने के लिए वैसे सभी विभागों के प्रतिनिधि को जिनसे उद्यमियों/निवेशकों को विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, एस.आई.पी.बी. सचिवालय में पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जायेगा ताकि सभी संबंधित विभागों से बहुत कम समय में निवेश के प्रस्ताव पर क्लियरेंस प्राप्त हो सके।

- नये उद्योगों की स्थापना एवं कार्यान्वयन के लिए सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु वैसे सभी विभागों के सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेट किया जायेगा, जिनसे उद्यमियों/निवेशकों को विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ताकि निवेशक को बाधा रहित सेवा प्राप्त हो सके।

- प्रक्षेत्रवार नीतियों का निर्माण कर राज्य में निवेश के सम्भावनाओं को बल देने के लिए इथेनॉल, लॉजिस्टिक, प्लास्टिक एवं रबर, कपड़ा एवं परिधान, ट्वाय एवं निर्यात नीति इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है।

- बियाडा की भूमि आवंटन एवं भू–हस्तांतरण की प्रक्रिया में नीतिगत सुधार करते हुए इसे सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जायेगा साथ ही सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग प्रक्षेत्र के इकाइयों को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इनके लिए ज्यादा भूमि आरक्षित की जायेगी।

- बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, के अंतर्गत Common Effluent Treatment Plant (CETP) निर्माण एवं संचालन, कार्यालय भवन, वाटर सप्लाई, हरित पट्टी, विभिन्न तरह के माईक्रो यूनिट के लिए कलस्टर डेवलपमेंट के तहत आवासीय फैक्ट्री कॉम्पलेक्स इत्यादि का निर्माण किया जाना है।

- औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास Industrial Park Rating System 2.0 के मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा।

- राज्य में प्रक्षेत्रवार Industrial Park यथा– प्लास्टिक, लेदर, फार्मास्युटिकल, ट्वाय एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्क आदि विकसित किया जायेगा।

- अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (AKIC) के तहत राज्य के गया जिले में दस वर्ग कि.मी. के क्षेत्रफल में इण्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है।

- भागलपुर एवं बांका जिले में शत–प्रतिशत थाई रीलिंग उन्मूलन के लिए जीविका से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सूची प्राप्त होते ही केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सामंजस्य स्थापित करते हुए थाई रीलरों को आधुनिक बुनियाद रीलिंग मशीन उपलब्ध कराया जायेगा।

- ❖ वर्ष 2021–22 में रेशम प्रक्षेत्र में संचालित केन्द्रों/भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु ₹400.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- ❖ मधुबनी, बांका एवं भागलपुर में खादी के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (C.F.C) के निर्माण का प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय एवं बड़े शहरो में खादी मॉल एवं शो–रूम खोले जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न विभागों द्वारा व्यवसायिक लाईसेंसों/पंजीकरण इत्यादि का नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त या सहज किया जा रहा है। साथ ही सभी व्यवसायिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जा रही है एवं प्रक्रिया को पुर्णतः पारदर्शी बनाया जा रहा है।
- ❖ उद्योग मित्र में संस्थागत सुदृढ़ीकरण करते हुए प्रक्षेत्रवार विशेषज्ञों की नियुक्ति नॉलेज पार्टनर के रूप में की जायेगी ताकि प्रक्षेत्रवार नीति विश्लेषण एवं उद्यमियों/निवेशकों को उनके उद्यम/निवेश से संबंधित सलाह/मार्गदर्शन मिल सके।
- ❖ ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अतिरिक्त सामान्य नागरिकों के जन–जीवन में काम आनेवाले अन्य सरकारी सेवाओं को सामान्य नागरिक तक सुगमता से पहुँचाने हेतु उद्योग विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए Regulatory Compliance Burden को आसान कर ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
द्वारा नव–प्रवर्त्तन जोन
चनपटिया पं.चम्पारण (बेतिया) का निरीक्षण

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
द्वारा नव–प्रवर्त्तन जोन
चनपटिया पं.चम्पारण (बेतिया)
का निरीक्षण

माननीय उद्योग मंत्री,
सैयद शाहनवाज़ हुसैन
द्वारा नई दिल्ली स्थित अंबापाली
बिहार इम्पोरियम का निरीक्षण

बिहार सरकार

उद्योग विभाग